



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13012022-232621
CG-DL-E-13012022-232621

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10]
No. 10]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 13, 2022/पौष 23, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 13, 2022/PAUSHA 23, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
सार्वजनिक सूचना
नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2022
सं. 45/2015-2020

विषय : रसायन और संबंधित उपकरण के निर्यात हेतु सामान्य प्राधिकार पत्र (जीईसी) को अधिसूचित करने हेतु विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20 की प्रक्रिया पुस्तक में पैरा 2.79 छ को शामिल करना।

फा. सं. 01/91/180/01/एम-22.—विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-2020 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार (डीजीएफटी) एतद्द्वारा पैरा 2.79 छ पर नई प्रविष्टि को शामिल करने हेतु विदेश व्यापार नीति 2015-20 की प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी) में तत्काल प्रभाव से संशोधन करते हैं।

2. विदेश व्यापार नीति 2015-2020 की प्रक्रिया पुस्तक के उप पैरा 2.79 च के बाद नई प्रविष्टि को निम्नानुसार शामिल किया जाएगा:

“2.79 छ— स्कोमेट सूची के तहत रसायन और संबंधित उपकरण के निर्यात हेतु सामान्य प्राधिकार पत्र (जीईसी)

क. रसायन और संबंधित उपकरण के निर्यात हेतु सामान्य प्राधिकार पत्र (जीईसी) को मंजूर करने के लिए प्रक्रिया

- I. 1 ग, 1घ, 1ड., 3घ001 और 3घ004 (सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी को छोड़कर) की श्रेणियों/उपश्रेणियों के तहत स्कोमेट मदों के निर्यात/पुनः निर्यात के संबंध में, आवेदक निर्यातक ऑनलाइन स्कोमेट पोर्टल के माध्यम से जीईसी हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा और प्रपत्र-एएनएफ-2 ण में सूचना संलग्न करेगा;

II. आवेदक निर्यातक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में प्रस्तुत किए गए आवेदन और प्रस्तुत किए गए अन्य सहायक दस्तावेजों के आधार पर अंतर-मंत्रालयी कार्य समूह (आईएमडब्ल्यूजी) द्वारा जीईसी को जारी करने हेतु आवेदन की समीक्षा/जांच की जाएगी जिसमें निम्नलिखित शामिल है:

क. इस प्राधिकार पत्र के तहत मदों जिनका निर्यात करने का प्रयोजन है उनका प्रासंगिक तकनीकी विवरण/विनिर्देशन जैसे कि मॉडेल, पार्ट संख्या आदि के साथ विस्तृत विवरण प्रदान किया जाना चाहिए (यथा लागू): उपर्युक्त श्रेणियों/उप श्रेणियों के तहत मदों के प्रथम अभीष्ट निर्यात मामले में, अभीष्ट निर्यात की समग्र आपूर्ति श्रृंखला (क्रेता, परेषिती, अंतिम प्रयोक्ता आदि) का विवरण प्रदान करना होगा। उपर्युक्त श्रेणियों/उप श्रेणियों के तहत मदों के पूर्व निर्यातों के मामले में यदि मदों का निर्यात कर दिया गया है तो पूर्व निर्यात का विवरण ईयूसी के साथ प्रदान जाना चाहिए।

ख. कंपनी के शीर्षपत्र पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित और मुहर लगाया हुआ वचनबद्धता पत्र जिसमें निम्नलिखित उल्लिखित हो:

- i. यदि डीजीएफटी अथवा भारत सरकार के प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा अपेक्षित हो, तो साइट पर किसी निरीक्षण को आवेदक निर्यातक द्वारा अनुमति दी जाएगी;
- ii. आवेदक निर्यातक घोषित करता है कि निर्यात किए जाने के लिए अभीष्ट मदों का उपयोग ईयूसी में उल्लिखित प्रयोजन (प्रयोजनों) को छोड़कर किसी अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा और ऐसे उपयोग में परिवर्तन नहीं किया जाएगा और न ही भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना मदों को रूपांतरित अथवा प्रतिकृत किया जाएगा।
- iii. आवेदक निर्यातक घोषित करता है कि निर्यात प्राधिकार पत्र के जारी होने के तदोपरांत यदि डीजीएफटी द्वारा लाइसेंस-धारक को लिखित रूप से अधिसूचित किया गया है अथवा यदि वे जानते हैं अथवा उनका विश्वास है कि मद का वास्तविक उपयोग सैन्य कार्य हेतु किया जाना है अथवा इसका जन संहार के हथियारों अथवा इनके मिसाइल सिस्टमों में इस्तेमाल अथवा डायवर्जन किए जाने का संभावित जोखिम है तो निर्यातक उस/उन मद (वस्तुओं) को निर्यात हेतु जीईसी प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा तथा नियमित नीति के अनुसार नए प्राधिकार-पत्र हेतु डीजीएफटी को अलग से आवेदन करेगा।
- iv. कोई गलत घोषणा करने पर विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 के तहत निर्यातक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

ग. जीईसी प्राधिकार-पत्र जारी होने के बाद अथवा वास्तविक निर्यात किए जाने से पहले, आवेदक निर्यातक को निम्नलिखित को सुनिश्चित करना चाहिए:-

- i. वे निर्धारित प्रपत्र [परिशिष्ट 2ध (ii)] में वास्तविक उपयोग प्रमाण-पत्र (ईयूसी), गंतव्य बिंदु पर सुपुर्दगी के 30 दिनों के अंदर गंतव्य देश में प्रविष्टि-बिल की एक प्रति के साथ ऐसे निर्यात के 30 दिनों के अंदर निर्धारित प्रपत्र (आयात निर्यात फार्म (एएनएफ)-20) में डीजीएफटी के ऑनलाईन पोर्टल पर संबंधित सरकारी प्राधिकारियों को अधिसूचित करेंगे।
- ii. उनके पास समझौता अथवा क्रय आदेश, मदों को प्राप्त करने वाली इकाई (परेषिती/वास्तविक प्रयोक्ता) से की गई संविदा का उद्धरण होना चाहिए जिसमें उल्लिखित हो कि निर्यात वास्तविक निर्यात से पूर्व ईयूसी में यथा घोषित अनुमत उपयोग/वास्तविक उपयोग के लिए अभिप्रेत है।
- iii. उनके पास वास्तविक निर्यात से पूर्व ईयूसी पर हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी का नाम, दूरभाष संख्या और ईमेल आईडी सहित दस्तावेज हों।
- iv. अतिरिक्त विवरण यदि डीजीएफटी द्वारा कोई मांगा जाए।

ख. जीईसी के अंतर्गत मदों के निर्यात/पुनः निर्यात हेतु पश्च रिपोर्टिंग।

क. भारतीय निर्यातक उपर्युक्त II ग (i) में यथा उल्लिखित जीईसी के तहत इसमें उल्लिखित निर्धारित समय सीमा में उपरोक्त श्रेणियों/उप श्रेणियों के अंतर्गत स्कोमेट मदों के प्रत्येक निर्यात/पुनः निर्यात का पश्च शिपमेंट विवरण को प्रस्तुत करेगा।

ख. ऐसा करने में असमर्थ होने पर जुर्माना लगाया जा सकता है और/अथवा जीईसी का निलंबन/निरसन किया जा सकता है।

ग. रिकॉर्ड रखना

निर्यातक को डीजीएफटी द्वारा जारी किए गए जीईसी की तिथि से 5 वर्ष की अवधि हेतु प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.73 (ग) के अनुसार में मैन्युअल रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से सभी निर्यात दस्तावेजों का रिकॉर्ड रखना अपेक्षित होगा।

घ. सामान्य शर्तें और अपवर्जन

- क. जीईसी जारी नहीं किया जाएगा यदि मदों को रसायन, जैविक, परमाणु हथियारों या सामूहिक विनाश के हथियारों की डिलिवरी करने में सक्षम मिसाइल और उनकी डिलिवरी प्रणाली के प्रयोग और/अथवा उनके डिजाइन, विकास, अधिग्रहण, विनिर्माण, रखने, परिवहन, हस्तांतरण हेतु प्रयोग किया जाएगा।
- ख. यूएनएससी प्रतिबंध या प्रतिबंध सूची में शामिल देशों अथवा ईकाईयों हेतु या प्रसार संबंधी चिंताओं का मूल्यांकन अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति कारणों आदि से जीईसी जारी नहीं किया जाएगा:
- ग. आईएमडब्ल्यूजी के पास कोई भी कारण (कारणों) को बताएं बिना जीईसी को जारी करने से मना करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

ड. वैधता

- क. उपर्युक्त श्रेणियों/उप श्रेणियों (सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी को छोड़कर) के तहत स्कोमेट मदों के निर्यात/पुनः निर्यात हेतु जारी किया गया जीईसी, जीईसी के जारी होने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि हेतु वैध होगा बशर्ते कि अंतिम तिमाही से 30 दिनों के भीतर त्रैमासिक आधार पर आगामी पश्च रिपोर्टिंग (रिपोर्टिंग्स) की जाए।
- ख. जीईसी का विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 की प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.80 के अनुसरण में पुनः वैधीकरण नहीं किया जा सकता है।

च. निलंबन/निरसन

जारी किया गया जीईसी का प्रसार संबंधी चिंताओं पर प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होने पर अथवा विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अनिवार्य पश्च-पोतलदान विवरण/रिपोर्ट /दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने के लिए अथवा प्रस्तावित नीति की शर्तों का अनुपालन न होने के लिए डीजीएफटी द्वारा निलंबन/निरसन किया जा सकता है।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव : रसायन और संबंधित उपकरणों के निर्यात हेतु सामान्य प्राधिकार पत्र के लिए प्रक्रिया को निर्धारित करने हेतु विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015–20 की प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी) में पैरा 2.79 छ को शामिल किया गया है।

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 13th January, 2022

No. 45/2015-20

Subject : Inclusion of Paragraph 2.79G in the Handbook of Procedures of the Foreign Trade Policy (FTP) 2015-20 to notify the procedure for General Authorisation for Export of Chemicals and related equipment (GAEC)

F. No. 01/91/180/01/AM22.—In exercise of the powers conferred under Paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2015-20, the Director General of Foreign Trade (DGFT) hereby makes amendment to Handbook of Procedures (HBP) of FTP 2015-20 for inclusion of new entry at Paragraph 2.79G with immediate effect.

2. After Sub Para 2.79F of the HBP of FTP 2015-2020, a new entry shall be inserted as under:

“2.79G - General Authorisation for Export of Chemicals and related equipment (GAEC) under SCOMET List

A. Procedure for grant of General Authorization for Export of Chemicals and related equipment (GAEC)

- I. In respect of export/re-export of SCOMET items under the Categories / Sub Categories of 1C, 1D, 1E, 3D001 and 3D004 (excluding software and technology), the applicant exporter shall submit an application for GAEC through online SCOMET portal and attach information in proforma -ANF 2O;
- II. The application would be reviewed/examined for the issuance of GAEC by Inter-Ministerial Working Group (IMWG) based on the submitted application and other supporting documents submitted by the applicant exporter in the prescribed proforma including:
 - a. Detailed description of the items that are intended to be exported under this authorization with relevant technical details / specifications; such as model, part number, etc. to be provided (as applicable); In case of first intended export of items under the above Categories / Sub Categories, details of the entire supply chain (buyer, consignee, end user, etc.) of an intended export is to be provided. In case of previous exports of items under the above Categories / Sub Categories having been carried out, details of past exports including the EUC is to be provided.
 - b. Undertaking on the letterhead of the firm duly signed and stamped by the authorized signatory stating the following:
 - i. Any on-site inspection will be allowed by the applicant exporter, if required by the DGFT or authorized representatives of Government of India;
 - ii. The applicant exporter declares that the items that are intended to be exported shall not be used for any purpose other than the purpose(s) stated in the EUC and that such use shall not be changed nor the items modified or replicated without the prior consent of the Government of India.;
 - iii. The applicant exporter declares that subsequent to issue of export authorisation, if the licensee has been notified in writing by DGFT or if they know or has reason to believe that an item may be intended for military end use or has a potential risk of use in or diversion to weapons of mass destruction (WMD) or in their missile system, the exporter would not be eligible for GAEC for export of that/those item(s) and would apply separately to DGFT for a fresh authorization in terms of regular policy.
 - iv. Action will be taken against the exporter under FT (D & R) Act, 1992 for any mis-declaration.
 - c. After issuance of GAEC authorization and before actual export, the applicant exporter must ensure the following:
 - i. They shall notify the relevant government authorities in the online portal of DGFT, within 30 days of such export in the prescribed format [Aayat Niryat Form (ANF) - 2O], along with the End-Use Certificate (EUC) in the prescribed proforma [Appendix 2S(ii)] and a copy of the bill of entry into the destination country within 30 days of delivery at destination point.
 - ii. They have an agreement or a purchase order, excerpt of contract from entity (consignee / end user) receiving the items which states that the export is for a permitted use / an end use as declared in the EUC before actual export;
 - iii. They possess documents include the name, contact number and email id of the authority signing the EUC before actual export.
 - iv. Additional details, if any sought by DGFT

B. Post reporting for export / re-export of items under GAEC

- a. The Indian exporter shall submit post-shipment details of each export/ re-export of SCOMET items under the above Categories/ sub-categories under GAEC, as mentioned above at II.c. (i) and within the timelines specified therein;
- b. Failure to do so may entail imposition of penalty and / or suspension/revocation of GAEC.

C. Record Keeping

The exporter will be required to keep records of all the export documents, in manual or electronic form, in terms of Para 2.73 (c) of HBP, for a period of 5 years from the date of GAEC issued by DGFT.

D. General Conditions & Exclusions

- a. GAEC would not be issued in case of items to be used to design, develop, acquire, manufacture, possess, transport, transfer and / or used for chemical, biological, nuclear weapons or for missiles capable of delivering weapons of mass destruction and their delivery system;
- b. GAEC would not be issued for countries or entities covered under UNSC embargo or sanctions list or on assessment of proliferation concerns, or national security and foreign policy considerations, etc.;
- c. IMWG shall reserve the right to deny issue of GAEC without assigning any reason(s).

E. Validity

- a. GAEC issued for export/re-export of SCOMET items under the above Categories/Sub Categories (excluding software and technology) shall be valid for a period of **five years** from the date of issue of GAEC subject to subsequent post reporting(s) on quarterly basis to be reported within 30 days from the last quarter;
- b. GAEC cannot be revalidated in terms of Paragraph 2.80 of HBP of FTP 2015-20.

F. Suspension / Revocation

GAEC issued shall be liable to be suspended/revoked by the DGFT on receipt of an adverse report on proliferation concern or for non-submission of mandatory post-shipment details/reports / documents within the prescribed timelines or for non-compliance with the conditions of the proposed policy.

Effect of this Public Notice:

Paragraph 2.79G has been added in the Handbook of Procedures (HBP) of FTP Foreign Trade Policy (FTP) 2015-20 to lay down the procedure for General Authorisation for Export of Chemicals and related equipments.

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade
& Ex-officio Addl. Secy.